

प्रेस-नोट थाना बिधनू कानपुर आउटर



थाना क्षेत्र बिधनू में दिनांक घटना 08/07/2021 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि नाहर सिंह के ट्यूबवैल के पास कुरौना बहादुर नगर में एक गड्डे के किनारे मृतक अंकित यादव का शव पड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर मौके पर थाने की फोर्स पहुंची। जिस पर मुकदमा वादी श्री प्रकाश नारायण यादव पुत्र स्व० रामपाल यादव नि० कुरौना बहादुर नगर थाना बिधनू कानपुर आउटर की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 225/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक आउटर महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्वेक्षण में कई टीमों का गठन हुआ तथा विभिन्न संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही कराई गयी। तमामी विवेचना व साक्ष्यों के आधार पर उक्त घटना में अभि०गण 1.भजनू उर्फ भजन लाल 2.राजेश उर्फ पाण्डेय 3.अमित पाल का नाम प्रकाश में आया। उक्त मुकदमा में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी की गई। उक्त घटना में शामिल अभि०गण 1. भजनू उर्फ भजनलाल पुत्र बल्लू राजपूत नि० कुरौना बहादुर नगर थाना बिधनू कानपुर आउटर उम्र करीब 50 वर्ष 2.राजेश पाल उर्फ पाण्डेय पुत्र स्व० सियाराम नि० कुरौना बहादुर नगर थाना बिधनू कानपुर आउटर उम्र करीब 25 वर्ष की दिनांक 11/07/2021 को गिरफ्तारी की गई व उक्त मुकदमा में वांछित अभि० अमित पाल की गिरफ्तारी अभी शेष है। प्रकाश में आये अभियुक्तगण के गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा में धारा 34/201 भादवि की बढोत्तरी की गई।

उक्त घटना में थाना बिधनू पुलिस द्वारा अथक प्रयास से घटना में त्वरित एवं अत्यन्त परिश्रम के साथ कार्यवाही करते हुए घटना का निष्पादन अन्दर 48 घण्टे में किया गया।



नाम पता अभियुक्त ----

1. भजनू उर्फ भजनलाल पुत्र बल्लू राजपूत नि० कुरौना बहादुर नगर थाना बिधनू कानपुर आउटर उम्र करीब 50 वर्ष
आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 225/21 धारा 302/34/201 भादवि

2.राजेश पाल उर्फ पाण्डेय पुत्र स्व० सियाराम नि० कुरौना बहादुर नगर थाना बिधनू कानपुर आउटर उम्र करीब 25 वर्ष
आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० 225/21 धारा 302/34/201 भादवि

घटना का संक्षिप्त विवरण --उक्त प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिल बहादुर सिंह की अमित पाल से पूर्व से रंजिश थी । लगभग 1 सप्ताह पूर्व दिल बहादुर सिंह तथा मृतक अंकित यादव में झगड़ा हुआ था । अमित पाल आदि द्वारा एक राय होकर दिल बहादुर सिंह को फसाने के लिए अंकित यादव की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी गयी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1 . थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार सिंह थाना बिधनू कानपुर आउटर
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार सिंह चौकी प्रभारी सेन पश्चिम पारा
3. हे0कां0 951 राजीव सिंह
4. हे0का0 1500 धर्मेन्द्र कुमार
5. का0 2971 प्रदीप कुमार

(विनोद कुमार सिंह)
थानाध्यक्ष थाना बिधनू
कानपुर आउटर

थाना बिधनू